



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 आषाढ़ 1946 (श०)

संख्या - 22 राँची, बुधवार

10 जुलाई, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 312-325 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2024

संख्या-1/विविध- 8011/05 का०-3321--श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (झा:2003), सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 06.06.2024 से 14.06.2024 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 मार्च, 2024

सं०सं०-03/नि०सं०-09-21/2018 का०- 2283--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 608/03), अपर निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के अनुरोध के आलोक में दिनांक 27.06.1994 से 16.08.1994 (कुल 51 दिन) तक की उनके अविनियमित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 के अंतर्गत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 अप्रील, 2024

संख्या-1/विविध-805/2021 कां- 2450-- श्री सैय्यद रियाज अहमद, भा०प्र०से० (झा:2019),
अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को गृह यात्रा रियासत सुविधा का
उपभोग करने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं
20 के तहत दिनांक- 08.04.2024 से 17.04.2024 तक कुल 10 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

15 अप्रील, 2024

सं०सं०-03/नि०सं०-09-03/2019 कां- 2699-- श्रीमती मीना, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 850/03),
संयुक्त निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 732/वि०
दिनांक 14.03.2024 के आलोक में दिनांक 15.04.2024 से 31.07.2024 (कुल 108 दिन) तक शिशु
देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 अप्रील, 2024

संख्या-1/विविध-843/2005 खंड का०- 2952--श्री राहुल कुमार पुरवार भा०प्र०से० (झा:1999), प्रधान सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को अपनी पुत्री के Graduation Ceromony में भाग लेने हेतु निजी व्यय पर विदेश (Chicago, USA) की यात्रा की अनुमति एवं अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-10.05.2024 से 21.05.2024 तक कुल 12 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex- India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 अप्रील, 2024

संख्या-1/विविध-828/2011 का०- 2828-- श्री अमित कुमार, भा.प्र.से. (झा:2010) निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग (राज्य शहरी विकास अभिकरण), झारखण्ड, राँची को लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में दिनांक 17.06.2024 से 26.07.2024 तक London School of Economics and Political Science में आयोजित Specialized Courses on public Finance and Political Economy of Public Policy में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस कोर्स में भाग लेने के लिए Tuition Fees, Travel and Accommodation पर होने वाले व्यय का वहन Centre of Excellence for Climate Resilient City, IIT Guwahati द्वारा किया जायेगा।

उक्त Specialized Course में भाग लेने हेतु श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 18.06.2024 से 30.07.2024 तक कुल 43 दिनों का उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति तथा दिनांक 15.06.2024, 16.06.2024 एवं 17.06.2024 को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग मुख्यालय से बाहर रहकर करने एवं नई दिल्ली से भाया सेंजेन होते हुए लंदन (यूनाइटेड किंगडम) (विदेश) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2024

संख्या-1/विविध-833/08 का०- 3327-- श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (झा:2006), सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 20.05.2024 से 24.05.2024 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 18.05.2024 एवं 19.05.2024 को शनिवारीय/रविवारीय अवकाश उपभोग करने के साथ-साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2024

संख्या-1/विविध-8006/2005 कां- 3027-- श्री मस्त राम मीना, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना संख्या 1506 दिनांक 28.02.2024 द्वारा दिनांक- 28.02.2024 से 25.03.2024 तक कुल 27 दिनों के लिए प्रदत्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक- 29.02.2024 से 26.03.2024 तक कुल 27 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MITHLESH THAKUR, NISHA KUMARI (अन्य नाम MUNNI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 577, दिनांक 20 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री NISHA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

NISHA KUMARI एवं MUNNI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MOH. - MAHABIR MANDIR,
ADARSH NAGAR KOKAR,
P.O. - RANCHI G.P.O.,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SIWANI DEVI अन्य नाम KALO KUMARI पति ARVIND BHANDARI, शपथ पत्र सं० 347, दिनांक 16 जून, 2024 के अनुसार SIWANI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SIWANI DEVI एवं KALO KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - HENDEBILI,
P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835219
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJIV KUMAR, AHANA SHARMA (अन्य नाम YANA) का पिता, शपथ पत्र सं० 0305, दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री AHANA SHARMA (जन्म तिथि - 2 दिसम्बर, 2010) के नाम से जानी जायेगी।

AHANA SHARMA एवं YANA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 403,
BREEZE VASUNDHARA PLAM ISLAND,
KARAMTOLI CHOWK,
RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MINTU KUMAR NANDI अन्य नाम MINTU KUMAR पिता SRI PRIYA LAL NANDI, शपथ पत्र सं० 1128, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 के अनुसार MINTU KUMAR NANDI के नाम से जाना जाऊँगा।

MINTU KUMAR NANDI एवं MINTU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - RAILWAY COLONY MURI,
P.O. - CHOTAMURI,
P.S. - SILLI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NETH MUNDA अन्य नाम ETWA MUNDA पिता BUDHWA MUNDA, शपथ पत्र सं० 103, दिनांक 15 जून, 2024 के अनुसार NETH MUNDA के नाम से जाना जाऊँगा।

NETH MUNDA एवं ETWA MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PERKA,
P.O. - MAHIL,
P.S. - MURHU,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835216
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SACHITRA NANDA RAY अन्य नाम SACHITRA ROY पिता BHRAMARBAR RAY, शपथ पत्र सं० 652, दिनांक 21 मई, 2024 के अनुसार SACHITRA NANDA RAY के नाम से जाना जाऊँगा।

SACHITRA NANDA RAY एवं SACHITRA ROY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - QTR. NO. - 2238,
SECTOR - 4/A, STREET - 5,
P.O. & P.S. - SECTOR - 4,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, REKHA DEVI अन्य नाम MINA DEVI पति BAIJNATH MAHTO, शपथ पत्र सं० 107, दिनांक 19 जून, 2024 के अनुसार REKHA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

REKHA DEVI एवं MINA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BHEDMUKKA BASTI PHUSRO,
P.O. - BERMO, PHUSRO,
BOKARO, PHUSRO BAZAR,
PIN - 829144
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAMPYARI DEVI अन्य नाम PIYARIA DEVI पति DEVENDRA SINGH, शपथ पत्र सं० 10, दिनांक 16 मई, 2024 के अनुसार RAMPYARI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

RAMPYARI DEVI एवं PIYARIA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - QR. NO. - EWS-3/8,
NEAR SWAMI SAHJANAND SARASWATI SANSTHAN,
CHHOTA GOVINDPUR,
HOUSING COLONY,
P.O. - GOVINDPUR,
P.S. - CHHOTA GOVINDPUR,
TOWN JAMSHEDPUR,
DIST. - SINGHBHUM,
PIN - 831015
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PODDA CHIDRA अन्य नाम PRABHA DEVI पति P.K.J. CHIDRA, शपथ पत्र सं० 37, दिनांक 3 जून, 2024 के अनुसार PODDA CHIDRA के नाम से जानी जाऊँगी।
PODDA CHIDRA एवं PRABHA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - 9,
TELIPARA, SIMALDIH,
P.O. - DHANBAD,
P.S. - DHANBAD,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SULENDRA ORAON, SALONI LAXMI TOPPO (अन्य नाम LAXMI TOPPO) का पिता, शपथ पत्र सं० 27651, दिनांक 18 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SALONI LAXMI TOPPO (जन्म तिथि - 19 अक्टूबर, 2006) के नाम से जानी जायेगी।
SALONI LAXMI TOPPO एवं LAXMI TOPPO दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - UMRI DUMAR TOLI,
P.O. - SINJO,
P.S. - KURU,
DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BITHIKA SEN GUPTA अन्य नाम KHAMA SENGUPTA पति Late TAPAN SEN GUPTA, शपथ पत्र सं० 790, दिनांक 3 जनवरी, 2024 के अनुसार BITHIKA SEN GUPTA के नाम से जानी जाऊँगी।

BITHIKA SEN GUPTA एवं KHAMA SENGUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PODDARDIH,
P.O. - PODDARDIH,
P.S. - NIRSA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828205
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BULBUL PRASAD अन्य नाम BULBUL KUMARI पिता SHIV KUMAR MAHTO, पति SHIV SHANKAR PRASAD शपथ पत्र सं० 560, दिनांक 9 जनवरी, 2024 के अनुसार BULBUL PRASAD के नाम से जानी जाऊँगी।

BULBUL PRASAD एवं BULBUL KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MOHALLA JARIDIH,
P.S. - JARIDIH GANGJRI
DIST. - BOKARO,
PIN - 829301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RASHI SINGH अन्य नाम CHHOTI KUMARI SINGH पिता RAJESH KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 97, दिनांक 20 मई, 2024 के अनुसार RASHI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

RASHI SINGH एवं CHHOTI KUMARI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - JAP - 2, TATISILWAY,
P.S. - TATISILWAY,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DEBANJALI BANERJEE, AARYAN BANERJEE (अन्य नाम AARYAN IMMANUEL VETHABOTHAGAM) की माता, शपथ पत्र सं० 0295, दिनांक 9 दिसम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र AARYAN BANERJEE (जन्म तिथि - 10 जनवरी, 2014) के नाम से जाना जायेगा।

AARYAN BANERJEE एवं AARYAN IMMANUEL VETHABOTHAGAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 274/A, 2ND ROAD, SOUTH OFFICE PARA,
DORANDA, RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AMIT KUMAR BHAGAT अन्य नाम AMIT KUMAR पिता SHIV PRAKASH BHAGAT शपथ पत्र सं० 20, दिनांक 28 फ़रवरी, 2024 के अनुसार AMIT KUMAR BHAGAT के नाम से जाना जाऊँगा ।

AMIT KUMAR BHAGAT एवं AMIT KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE - BAJRA BARIYATU KUMBA TOLI,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEV NAGAR
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND
